

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: – Provision of Referral Transport

बजट/एफ०एम०आर शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Provision of Referral Transport

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): A.2.10.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

बिहार राज्य की नई पीढ़ी के स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की महत्ता को समझते हुए राज्य सरकार ने सभी 0-6 वर्ष के आयु के बालक/बालिकाओं, 6-14 वर्ष के सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सभी छात्र/छात्राओं तथा 15 वर्ष से 18 वर्ष तक की सभी किशोरियों के लिए स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य कार्ड निर्माण तथा रेफरल सुविधा आदि की व्यवस्था की है।

ईकाई राशि (रु० में) एवं वित्तीय दिशा-निर्देश:-

सभी जिलों में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए 200/- प्रति बच्चे रेफरल सुविधा हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें।

(क)

(ख)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० मदन प्रसाद शर्मा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर : 9470003023

Skumar

(Signature)

(Signature)

(Signature)